पत्रांक–6 / अ4–19 / 2006..1350

झारखण्ड–सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव

सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली।

राँची, दिनांक –23.06.2006

**विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित फिरायालाल पब्लिक स्कूल, राँची को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अधोलिखित शत्तों एवं बन्धेजों के अधीन स्थायी रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय आदेश संख्या–1055, दिनाक 05.09.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्त्तो एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय की बार्षिक बचत आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्धेश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार मे कार्यरत समकक्ष कर्मियो को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।

Scanned by CamScanner

3. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।

5. विद्यालय को शहरी क्षेत्र 2 (दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र मे चार एकड़ भूमि विद्यालय के नाम स संबंधित या कम से कम 30(तीस) वर्षो के निबंधित पट्टा/लिज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पायी जायगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा।

6. गरीबी रेखा से नीचे छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा। साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायगा।

7. विद्यालय का कार्य कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिएं। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार नैतिक तथा सरकार के सांस्कृतिक विकास हेतु साकारात्मक प्रदान करना होगा।

8, विद्यालय के छात्रों की समुचित सख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक संख्या होनी चाहिए ।

9 विद्यालय में नामांकन प्रकिया ,कर्मियो की संख्या, योग्यता एंव नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय–समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10, विद्यालय संचालन हेतु गणित नियमावली के आघार पर गणित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

11, राज्य/केन्द्र सरकार द्धारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेशन प्रोग्राम तथा एन,सी,सी,स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारू रूप से करना हेगा।

Scanned by CamScanner

12, यदि जो संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या–1055 दिनांक–5,9,2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना हेगा।

13, उपर्युक्त शर्त्तो एंव बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकाार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्ध करने का अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेख का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के बिरूद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तो एवं बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? इसकी जाँच समय–समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था को वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जाचोपरान्त अनुवर्त्ती कर स्थायी कर सकेगी।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. समय–समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बधंन संबंधी जो निर्णय लिये जायेगें उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तो का उल्लंधन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ–साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

18. प्रस्ताव में विभागीय मत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

निदेशक<br>(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,<br>राँची।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक .......1350......................./ राँची, दिनांकः 23.06.2016

प्रतिलिपि , संबधित क्षेत्रिय उप शिक्षा दिनेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी /प्राचार्य फिरायालाल पब्लिक स्कूल, राँची को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,

राँची।

ज्ञापांक ......................................../ राँची, दिनांकः

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड,, राँची के आप्त सचिव/ सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा) झारखण्ड,

राँची।

Scanned by CamScanner